न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 90/2013

वादीयाः-

1. झमकुदेवी पत्नी नारायण
   जाति-बावरी निवासी-कुडकी
   तहसील-जैतारण जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. नारायण पुत्र रुघा
2. हरकू बेवा मोडा
3. बंशी पुत्र मोडा
4. जगदीश पुत्र मोडा
   जातियान-बावरी
   निवासीगण-कुडकी
5. उप पंजीयन अधिकारी,जैतारण
6. तहसीलदार जैतारण
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः. 08/03/2013

उपस्थितः. 1. श्रीमति संगीता व्यास, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः 08/07/2015

वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-कुडकी, पटवार मण्डल-कुडकी, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान) में कृषि भूमि खसरा नम्बर 636 रकबा 1-19 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 637 रकबा 3-07 बीघा, खसरा नम्बर 638 रकबा 1-19 बीघा, कुल किता-3 कुल रकबा 7-05 बीघा व खसरा नंबर 674 रकबा 5 बीघा, ख.नं. 675 रकबा 7-06 बीघा, कुल किता-2 कुल रकबा 12-06 बीघा की आई हुई है। उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नंबर 636, 637, 638 की कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 नारायण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का 1/2 हिस्सा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं तथा खसरा नंबर 674, 675 की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 नारायण के नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं, जिसकी जमाबंदीयों की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद-पत्र के साथ पेश की हैं, जिसे वाद-पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। प्रतिवादी संख्या एक आदतन शराबी प्रकृति का व्यक्ति हैं तथा शराब के नशे में हर समय धूत रहता हैं तथा मंदबुद्धि व भोला भाला व्यक्ति हैं, जो हर किसी के बहकावें व सिखावें में आ जाता हैं तथा प्रतिवादी संख्या एक प्रतिवादीगण संख्या दो से चार के बहकावें व सिखावट में आकर बिना किसी जायज जरुरत के अपनी सम्पूर्ण भूमि को बेचान हस्तान्तरण करने व रहन रखने को आमादा हैं। वादीया प्रतिवादी संख्या एक की विवाहिता पत्नी है तथा कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं तथा वादीया के आय का एक मात्र स्त्रोत उक्त कृषि भूमि ही हैं तथा प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रतिवादी संख्या दो से चार के बहकावट व सिखावट में आकर अपने हिस्से की सम्पूर्ण कृषि भूमि का बैचान हस्तान्तरण रहन वसीयत बक्शीश आदि कर देता हैं तो वादीया को भूखे मरने की नोबत आ जायेगी तथा वादीया भूमिहीन हो जायेगी तथा वादीया को अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो जायेगा। दिनांक 05/02/2013 को प्रतिवादी संख्या एक प्रतिवादी संख्या दो से चार के बहकावें व सिखावे में आकर बिना किसी जायज जरुरत के वादीया को ऐलानिया धमकी दी कि मै उक्त वर्णित कृषि भूमि के सम्पूर्ण हिस्से का किसी अन्य व्यक्ति को बेचान हस्तान्तरण करके ही रहूगां। तब वादीया ने ऐसा करने से मना किया व बहुत समझाईस की व हाथाजोडी की, परन्तु प्रतिवादी संख्या एक नही माना। अगर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या एक प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के बहकावें व सिखावें में आकर बिना किसी जायज जरुरत के अपने सम्पूर्ण हिस्से को बेचान हस्तान्तरण किसी अन्य को कर देता हैं, तो वादीया को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी। वादीया के आय का जरिया ही समाप्त हो जायेगा तथा वादीया व उसके परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो जायेगा तथा वादीया अपने विधिक हक व अधिकारों से महरुम हो जायेगी। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, जिसको रोका जाने हेतु वादीया की और से प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 5 से 6 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं। जिनके विरुद्ध वाद पेश करने स पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं। परन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का होने से तथा नोटिस देने में समय लगने से बिना नोटिस दिये ही न्यायालय की अनुमति से यह वाद श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा हैं। वाद-पत्र पेश करने की अनुमति बाबत अलग से प्रार्थना पत्र धारा - 80(2) सीपीसी का पेश किया है। बिनायवाद दिनांक 05/02/2013 को वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या एक को बिना किसी जायज जरुरत के सम्पूर्ण हिस्से का बेचान हस्तान्तरण रहन आदि करने से मना किया तो प्रतिवादी संख्या एक नही माना व अपने सम्पूर्ण हिस्से की कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण रहन आदि करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम-कुडकी, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान) में उत्पन्न हुआ, जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से अन्दर म्याद वाद श्रीमान के समक्ष पेश किया हैं।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। जवाबदावा पेश करने हेतु समय चाहा गया। इस दौरान पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-कुड़की में पेश हुई। मोके पर मजमा-ए-आम पक्षकारान् को समझाईश की गई। पक्षकारान् द्वारा राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा में यह निवेदन किया कि उक्त भूमि 12-06 बीघा भूमि पक्षकारान् की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि स्थित हैं। जिसको प्रतिवादीगण बेचान, बख्शीश हस्तान्तरण नहीं करने एवं माफिक दावा डिक्री फरमावें। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश करने पर वादीया अपने कब्जे काश्त की भूमि को रहन, बेचान बख्शीश व अन्य हस्तान्तरण एवं कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक राजीनामे के अनुसार डिक्री बहस वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-कुडकी, पटवार मण्डल-कुडकी, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान) में कृषि भूमि खसरा नम्बर 636 रकबा 1-19 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 637 रकबा 3-07 बीघा, खसरा नम्बर 638 रकबा 1-19 बीघा, कुल किता-3 कुल रकबा 7-05 बीघा व खसरा नंबर 674 रकबा 5 बीघा, ख.नं. 675 रकबा 7-06 बीघा, कुल किता-2 कुल रकबा 12-06 बीघा की भूमि में वादीया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने एवं रहन, बेचान, बख्शीश व अन्य हस्तान्तरण करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 08/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-कुड़की पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

ईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीयाः- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. झमकुदेवी पत्नी नारायण
जाति-बावरी निवासी-कुडकी
तहसील-जैतारण जिला-पाली

1. नारायण पुत्र रुघा
2. हरकू बेवा मोडा
3. बंशी पुत्र मोडा
4. जगदीश पुत्र मोडा
जातियान-बावरी
निवासीगण-कुडकी
5. उप पंजीयन अधिकारी,जैतारण
6. तहसीलदार जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0 स0:90/2013

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....-........ व हाजरी श्रीमति संगीता व्यास, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनाम के अनुसार डिक्री बहस वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-कुडकी, पटवार मण्डल-कुडकी, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान) में कृषि भूमि खसरा नम्बर 636 रकबा 1-19 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 637 रकबा 3-07 बीघा, खसरा नम्बर 638 रकबा 1-19 बीघा, कुल किता-3 कुल रकबा 7-05 बीघा व खसरा नंबर 674 रकबा 5 बीघा, ख.नं. 675 रकबा 7-06 बीघा, कुल किता-2 कुल रकबा 12-06 बीघा की भूमि में वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने एवं रहन, बेचान, बख्शीश व अन्य हस्तान्तरण करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 08/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2=00	स्टाम्प वकालतनामा	2=00
स्टाम्प वकालतनामा	1=00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	-	महनताना वकील	
महनताना वकील	-	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	2=00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	-	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	गुत्फरिक	
मिजानः-	5=00	मिजानः-	2=00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner